

फार्म - L

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-28 देखें)

प्रांत के अंदर से वैट गुड्स की क्य पंजिका

(ii) **ਟਿਨ**

(iii) कर निर्धारण वर्ष - कर अवधि के समापन का दनांक

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम व हस्ताक्षर दिनांक